*

Jainology and Comparative Religion & Philosoph[y Departme]nt
Jain Vishva Bharati Institute, Ladnun

Date: September 23, 2021

To,

The Registrar

Jain Vishwa Bharati Institute,

Ladnun (Rajasthan)

Subject: Request for BOS Panel

We are suggesting following names for the member of Board of studies in the Department of Jainology and Comparative Religion & Philosophy.

1. ✓ Prof. D. C. Jain, Jaipur
2. Prof. Dharam chand Jain, Kurukshetra
3. Prof. Anekant Kumar Jain, New Delhi
4. ✓ Prof. Shreyansh Kumar ~~Singhai, Jaipur~~ Badot (UP)
5. Prof. Pradyuman Singh Shah, Patiala

The Vice-chancellor is requested to tick mark two names as an external expert on BOS pl.

Riju P. 23.9.21

(Prof. Samani Riju Prajna)

Head, JCRP

Hon'ble VC

23/9/21

Prof. D C Jain, Jaipur & Prof. Shreyansh Kr. Badot (UP)

24/9/21

Scanned with OKEN Scanner

3-month certificate course

प्राकृत भाषा का सामान्य बोध
(Prakrit Ka Samanya Bodh)

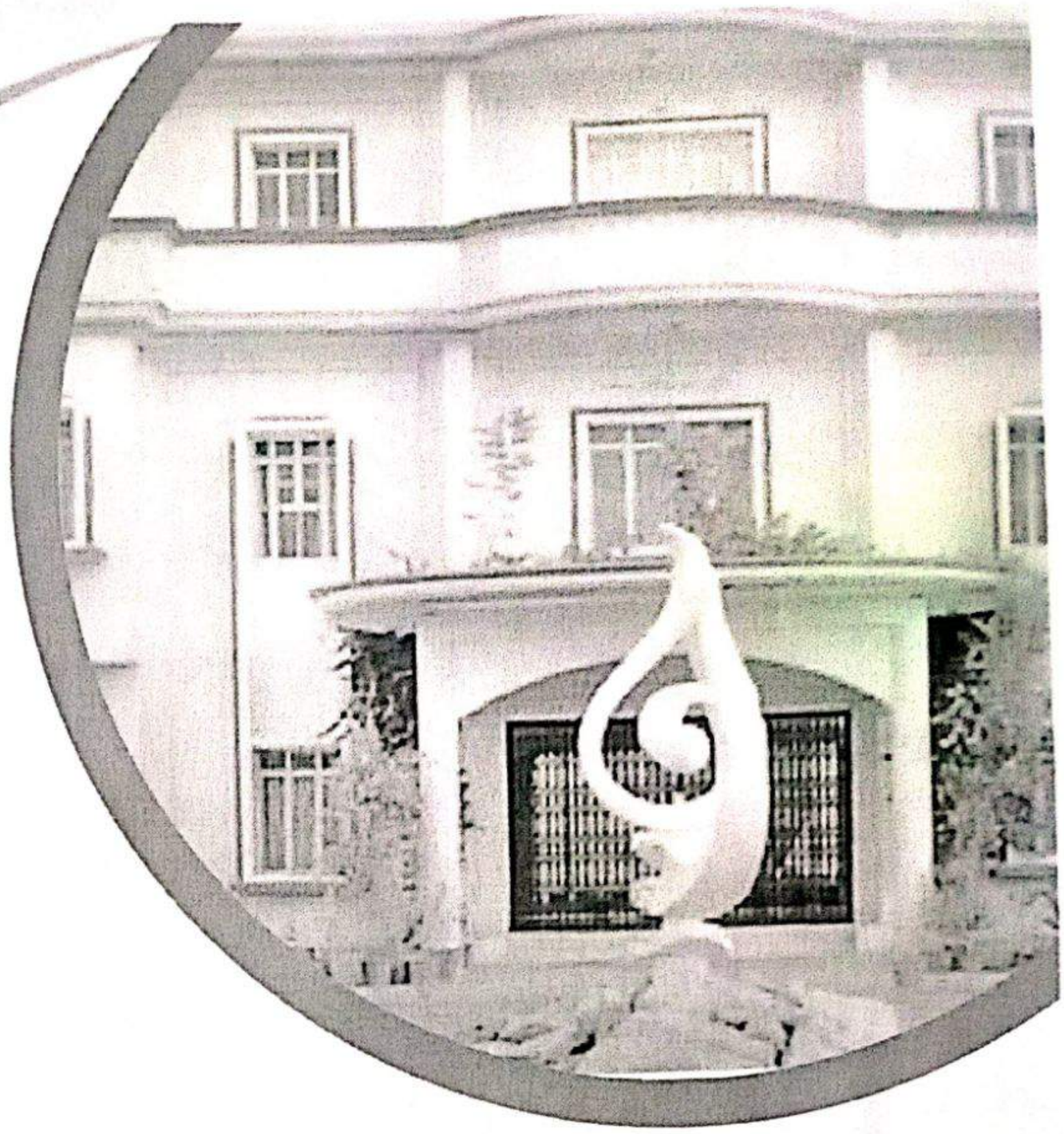

Introductory Offer,

Rs 200/-

Online course

Feb to Apr

About us

Jain Vishva Bharati Institute (JVBI), a non-profit organization is proudly standing as NAAC 'A' accredited Deemed University in Ladnun (Rajasthan) well-known for continuous integration of modern science and ancient wisdom for over 30 years.

Features:

- Follow up
- Online Lectures
- Reading material
- Quizzes
- University Certification

Online Video Lecture with doubt clearing sessions

For Enrolment:

https://lms.jvbi.ac.in/

8902657061
vineet.surana@jvbi.ac.in
www.jvbi.ac.in

Address: Ladnun - 341306,
Dist: Nagaur
Rajasthan

Scanned with OKEN Scanner

31 Jan 2023

A 3 month certificate course on Dietetics named as "प्राकृत भाषा का सामान्य बोध (Prakrit Ka Samanya Bodh)" is proposed to be conducted for which the salient features are:

- The Learning material has been uploaded on Learnyst platform which consists of video Lectures, Study material, Quizzes, Power point presentations.
- Learners shall be able to take the course at any given time at his/her leisure.
- Quizzes shall be dripped as per the requirement of the course on each 15 days to be completed by each learner.
- Duration: 3 months
- One Online session towards the end of the course shall be arranged where Dr Samani Sangeet Prajna may clear the doubts.
- Upon passing final quiz, the learner shall be eligible for certificate
- Proposed dates : 20 Feb to 19 April 2023
- Certificate to be issued by JVBI
- Fee = Rs 200/- per candidate as introductory offer as already approved
- No Maximum number of students to be enrolled
- No entry level qualification, Only age of candidate should be more than 18 years
- Online exam shall be conducted by JVBI
- Organised under the department of JCRP
- Fee to be collected in the account of JVBI

  Details of A/c:

  Account Number : 10272111000010

  Name: Jain Vishva Bharati Institute

  Bank Name : Punjab National Bank

  IFSC :- Punb0102710

  Micr Code: 341024010

For consideration please.

Vineet Surana
31/1/23

(Vineet Surana)
Deputy Registrar

Registrar

ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ करने की अनुमति।

Rijup.
31.1.2023

HoD JCRP

[illegible]
1.2.2023

Department of Jainology and Comparative Religion & Philosophy

To,

The Registrar

Jain Vishva Bharti Institute,

Ladnun (Rajasthan)

15.03.23

Undersigned has submitted a proposal pertaining to policy to HVC, today. 15/04/2023

→ JCRP

informed Dr. V. Chajjer over phone. 17/4/23

Subject: Regarding Dr Veerbala's Extra Online Services

Sir,

Department of Jainology and Comparative Religion & Philosophy is conducting Three Month Online Certificate Course on Jain Religion & Philosophy. Dr. Veerbala Chajjer is teaching the course as she is the faculty of our University. She has taught first batch as honorary service. Now from next batch she wants 50% of per student fee i.e. 1000/- for her extra online services.

Kindly provide your approval

Riju.P 15/3/23

(Prof. Samani Riju Prajna)

Head, Jainology and Comparative Religion & Philosophy Department

1) Under Certificate course in Jyotish and Vastu, ABPJSS is given Rs 600 (35%) out of Rs 1700 as for Instructions.
2) Under Certificate course in Philosophical Counselling, Rs 1800 was decided to be given out of Rs 2500 for Instructor to Dr. Kamini Gogri. (72%)

30% of the course fee may be given to the Instructor, Dr. Veerbala Chajjer for the conduction of course
→ For further guidance please.

15/3/23

Registrar
FO
15/3/2023
For guidance Pl.
Hon'ble VC
15/3/2023

[redacted] Can we develop General norms for such cases? 17/4/23

20 May

जैन विश्वभारती संस्थान लाडनूँ – 341 306
(मान्य विश्वविद्यालय)

दिनांक 20 मई, 2002 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 20 मई, 2002 को प्रातः 11.30 बजे माननीया कुलपति श्रीमती सुधामही रघुनाथन की अध्यक्षता में कुलपति कक्ष में विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित महानुभाव उपस्थित हुए :–

1.	श्रीमती सुधामही रघुनाथन, कुलपति	अध्यक्षा
2.	प्रो. मुसाफिर सिंह	सदस्य
3.	प्रो. कमलचन्द सोगानी	सदस्य
4.	डा. एन. के. जैन	सदस्य
5.	डा. बच्छराज दूगड	सदस्य
6.	समणी डॉ. स्थितप्रज्ञा	सदस्य
7.	डॉ. अशोक जैन	सदस्य
8.	सुश्री वीणा जैन	सदस्य
9.	डॉ. आनन्द प्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
10.	डॉ. हरिशंकर पाण्डेय	सदस्य
11.	समणी चिन्मय प्रज्ञा	सदस्य
12.	समणी चैतन्य प्रज्ञा	सदस्य
13.	डा. अनिल धर	सदस्य
14.	श्री आशुतोष प्रधान	सदस्य
15.	डॉ. जे.पी.एन. मिश्रा	सदस्य
16.	डॉ. जगतराम भट्टाचार्य	सदस्य एवं कुलसचिव

1. सर्वप्रथम माननीया कुलपति श्रीमती सुधामही रघुनाथन का विद्या परिषद की बैठक में प्रथम उपस्थिति पर समस्त सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। इसके पश्चात कुलपति महोदया ने बैठक में आगन्तुक महानुभावों का स्वागत किया।
2. गत बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की गयी।

नये पाठयक्रम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी निर्णय

3. अध्ययन मण्डल द्वारा संस्थान के स्नातक स्तरीय (बी.ए.) के पाठयक्रमों में वैकल्पिक विषय :– 1. राजनीति शास्त्र, 2. Information & Communication Technology (I.C.T.) कम्पयूटर कोर्स एवं 3. अहिंसा एवं शांति के पाठ्यक्रम आगामी सत्र से जोडे जाने के सम्बन्ध में गहनता से विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के पश्चात् संलग्न पाठ्यक्रम पारित किये गये। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त पाठ्यक्रमों को नियमित कक्षाओं में सत्र 2002–03 से प्रारम्भ किया जाये एवं पत्राचार माध्यम से इन विषयों की पूर्ण पाठ्यसामग्री तैयार हो जाने की दशा में इसे प्रारम्भ किया जाये चूंकि अहिंसा एवं शांति विषय की पाठ्यसामग्री तैयार की जा चुकी है अतः इसे इसी सत्र 2002–2003 से प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(संलग्नक – 1)

Scanned with OKEN Scanner

CamScanner

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि संस्थान के पत्राचार एवं नियमित पाठयक्रमों में अहिंसा एवं शांति विषय को जोडे जाने के सम्बन्ध में विद्या परिषद के समक्ष निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट किये गये।

सत्र 2000 तक नियमित एवं पत्राचार पाठयक्रम में जीवन विज्ञान एवं अहिंसा और शांति अध्ययन दो अलग अलग विषय थे। परन्तु विद्या परिषद की दिनांक 3.5.2002 की बैठक के निर्णय संख्या 06 के अन्तर्गत अहिंसा शांति एवं जीवन विज्ञान विषय को एक विषय कर दिया गया। अहिंसा शांति एवं जीवन विज्ञान एक विषय रखे जाने का निर्णय लिया गया लेकिन बाद में इस विषय के नामकरण के बारे में यह निर्णय लिया गया कि इसका नामकरण जीवन विज्ञान ही रखा जाये और इसमें अहिंसा शांति के जो आवश्यक अंग है उन्हें इस विषय जीवन विज्ञान में सम्मिलित कर लिए जायें एवं बाकी के हटा लिए जाये। इस दृष्टि से सत्र 2000–01 एवं 2001–2002 में यह विषय पत्राचार पाठयक्रम में जीवन विज्ञान नामकरण से ही चल रहा है। नियमित पाठयक्रमों में कोई विद्यार्थी नहीं थे अतः इसे लागू नहीं किया गया।

इस विद्या परिषद में दोनो विषयों को एक बनाए जाने वाले निर्णय पर इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहनतापूर्वक पुनः विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि कि ये दोनो विषय वस्तुतः अलग अलग होने चाहिए अतः निर्णय लिया गया कि जीवन विज्ञान एक विषय तथा दूसरा विषय अहिंसा एवं शांति के नाम से सत्र 2002–2003 से प्रारम्भ किये जाये। अहिंसा एवं शांति विषय के पाठ्यक्रम को जो कि अध्ययन मण्डल द्वारा पारित किया गया है को पारित करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि यह स्वतन्त्र विषय आगे से अंहिसा एवं शांति के नाम से प्रारम्भ किया जाये। अतः पूर्व में विद्या परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों पर यह संशोधन के रूप में स्वीकार किया जाये। पाठ्यक्रमों में एकरूपता की दृष्टि से नियमित एवं पत्राचार स्तर पर पाठ्यक्रम एक जैसा ही होगा।

विकलांग विद्यार्थियों को लेखक उपलब्ध करवाने सम्बन्धी निर्णय

4. संस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में विकलांग/लिखने में असमर्थ परीक्षार्थियों के लिए लेखक उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में गहन विचार विमर्श किया गया तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के उपलब्ध नियमों के आधार पर निर्मित नियमावली प्रस्तुत की गई जिसे विद्या परिषद द्वारा पारित किया गया।

(संलग्नक – 2)

शोध नियमावली

5. संस्थान के शोद्यार्थियों के लिए पूर्व में दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 को शोध मण्डल द्वारा पारित शोध नियमावली पर गहन विचार विमर्श के पश्चात् पुर्ननिर्मित शोध नियमावली पारित की गई।

(संलग्नक – 3)

पूर्व में लिये गये निर्णयों में संशोधन/परिवर्तन

6. संस्थान की विद्या परिषद में पूर्व में लिये गये निर्णयों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संशोधन तथा स्पष्टता की आवश्यकता व्यक्त की गई। पूर्व में लिए गये निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उनमें निम्नलिखित परिवर्तन / संशोधन किये गये :—

प्रव्रजन प्रमाण पत्र सम्बन्धी नियम

(1) विद्या परिषद की बैठक दिनांक 10 नवम्बर, 1997 – निर्णय संख्या 6 (i) के अनुसार "पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रव्रजन प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि जो छात्र/छात्रा प्रवेश लेते समय प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, उन्हें ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रव्रजन प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा लेकिन जो छात्र/ छात्रा प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें "शपथ पत्र" प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसे छात्र/छात्राओं को बाद में संस्थान द्वारा प्रव्रजन प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा।

इस नियम में संशोधन किया गया कि " जिसने भी संस्थान से बी.ए. एवं एम.ए. की डिग्री प्राप्त की है अथवा संस्थान में नामांकित हो चुका है उन सबको संस्थान का प्रवजन प्रमाण–पत्र दिया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

CamScanner

विभाग के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में

(2) विद्या परिषद की बैठक 28 मई, 1999 निर्णय संख्या–7 अन्य बिन्दु के अनुसार "विभागाध्यक्ष द्वारा सुझाव आया कि अहिंसा अणुव्रत एवं शांति अध्ययन के स्थान पर इस पाठ्यक्रम का नाम अहिंसा एवं शांति अध्ययन ही रखा जाए।" इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि नाम परिवर्तन सम्बन्धित विषय को अनुशास्ता से निवेदन किया जाए, उनका जैसा भी निर्देश हो उसे विद्या परिषद द्वारा पारित समझ लिया जाए।

इस सम्बन्ध में अनुशास्ता की दृष्टि मिली कि इस विभाग का नाम अहिंसा, अणुव्रत एवं शांति अध्ययन के स्थान पर अहिंसा एवं शांति हो। यह नाम परिवर्तन सत्र 2001 से मान्य समझा जाये। अतः विद्या परिषद को अनुशास्ता की दृष्टि से अवगत करवाया गया तथा विद्यापरिषद ने इसकी स्वीकृति प्रदान की।

कक्षाओं में सीटों की संख्या के सम्बन्ध में।

(3) विद्या परिषद की बैठक दिनांक 25.04.1997 के अनुसार "संस्थान के समाज कार्य विभाग में विद्यार्थियों की अधिकतम सीटे 15 हो यह निर्णय लिया गया था।"

इस सम्बन्ध में यह संसोधन किया गया कि विद्या परिषद द्वारा समी पाठयक्रमों में सीटों को बढ़ान एवं कम करने का अधिकार कुलपति पर छोड़ा जाए।

उत्तीर्णांक सम्बन्धी नियम

(4) विद्या परिषद की दिनांक 28.5.99 की बैठक के निर्णय संख्या–2 शीर्षक बी.ए. प्रवेश परीक्षा के "मूल्यांकन हेतु यह निर्णय लिया गया कि प्रवेश परीक्षा में सफलता हेतु उत्तीर्णांक कुल योग का 36% है।"

इसमें प्रत्येक पत्र में उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होना चाहिए था जो बैठक के कार्यवृत्त में लिखना छूट गया था जिसे इस बैठक में स्वीकृत किया गया।

कम्पयूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में

(5) विद्या परिषद की दिनांक 3 मई, 2001 की बैठक के निर्णय संख्या 5(3) के अनुसार "आगामी सत्र 2001–2002 से नियमित पाठ्यक्रम में 6 माह का कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। "

इसके स्थान पर यह संसोधन किया गया कि संस्थान द्वारा यह पाठयक्रम 6 माह के स्थान पर 3 माह का होगा तथा इसका नामकरण कम्प्यूटर एप्लीकेशन के स्थान पर Foundation Course in I.T. Concepts and Skills होगा। विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृत किया गया।

पत्राचार विभाग के नामकरण परिवर्तन सम्बन्ध में।

(6) विद्या परिषद की दिनांक 3 मई 2001 की बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या (4) के अनुसार "पत्राचार पाठ्यक्रम के नामकरण पर गहनतापूर्वक विचार–विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि इसका नाम मुक्त शिक्षा एवं पत्राचार पाठ्यक्रम केन्द्र (Centre for Open Education and Correspondence Courses—COECC) रखने की अनुमति प्रदान की गयी तथा इस परिवर्तित नाम को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के गजट में नोटिफाई (Notify) कर दिया जाये।"

इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 1 नवम्बर 2002 निर्णय संख्या–8 के अनुसार इसका नाम 'मुक्त शिक्षा एवं पत्राचार पाठ्यक्रम केन्द्र' (Centre for Open Education and Correspondence Course-COECC) को स्वीकृत न करते हुए इसका नाम "दूरस्थ शिक्षा निदेशालय" (Directorate of Distance Education) रखे जाने का अनुमोदन किया। अतः उक्त निर्णय को विद्या परिषद को सूचनार्थ रखा गया। जिसकी सभी ने स्वीकृति प्रदान की।

अन्त में कुलसचिव महोदय द्वारा आगन्तुक महानुभावों के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(डा. जगतराम भट्टाचार्य)
कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

CamScanner

प्राकृत एवं संस्कृत विभाग
जैन विश्वभारती संस्थान

पाठ्यक्रम समिति की बैठक

बैठक–वृत्त

आज दिनांक 10.05.2018 को विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में एम.ए. प्राकृत एवं एम.ए. संस्कृत के पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन एवं परिवर्द्धन किया गया। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे–

1. डॉ. समणी संगीतप्रज्ञा – विभागाध्यक्ष
2. प्रो. दामोदर शास्त्री – सदस्य
3. प्रो. समणी कुसुम प्रज्ञा – सदस्य K. P.
4. डॉ. सत्यनारायण भारद्वाज – संयोजक

इस बैठक में सभी सदस्यों द्वारा एम.ए. प्राकृत एवं एम.ए. संस्कृत के पाठ्यक्रमों में संशोधन एवं परिवर्द्धन हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये गये–

एम.ए प्राकृत–

1. प्रथम सेमेस्टर के पत्र सं.– PKT-101 जिसका शीर्षक पूर्व में "प्राकृत भाषा एवं साहित्य का इतिहास" था। अब इसके शीर्षक एवं इकाइयों की पाठ्यसामग्री में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर, इस पत्र का नाम "प्राकृत साहित्य का इतिहास एवं भाषा विज्ञान" रखा गया है। इस पत्र की इकाइयां इस प्रकार से होंगी–

इकाई–1: प्राकृत भाषा का इतिहास

प्राकृत भाषा का उद्भव एवं विकास, प्राकृत जन बोली एवं भाषा का स्वरूप।

प्राकृत भाषा के भेद–प्रभेद, संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं का अन्तःसंबंध।

इकाई–2: प्राकृत साहित्य का इतिहास

प्राकृत आगम साहित्य का इतिहास, प्राकृत व्याकरण साहित्य का इतिहास।

प्राकृत महाकाव्यों का इतिहास, प्राकृत कथा साहित्य का इतिहास

Scanned by CamScanner

इकाई–3: भाषाविज्ञान एवं उसका सामान्य परिचय

भाषा एवं भाषाविज्ञान : स्वरूप एवं महत्त्व, भाषाविज्ञान की शाखाएं एवं भाषा में परिवर्तन की दिशाएं

इकाई–4: प्राकृत भाषाविज्ञान

समीकरण, विषमीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, अल्पप्राणीकरण, महाप्राणीकरण, उष्मीकरण, कण्ठ्यीकरण, तालव्यीकरण, मूर्धन्यीकरण, दन्त्यकरण, ओष्ठ्यीकरण, अनुस्वार एवं अनुनासिक, स्वराघात, बलाघात, आगम लोप, विकार, विपर्यय, स्वरभक्ति, अपश्रुति, य–श्रुति।

2. प्रथम सेमेस्टर के PKT-102 जिसका शीर्षक पूर्व में "प्राकृत व्याकरण, छन्द एवं अलंकारशास्त्र" था, अब इसको परिवर्तन कर–"प्राकृत व्याकरण एवं छन्द किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रथम इकाई में सिद्धहेमशब्दानुशासन के अष्टम अध्याय का प्रथम पाद के 1–135 सूत्र, द्वितीय इकाई में प्रथम पाद के 136–271 सूत्र तथा तृतीय इकाई में द्वितीय पाद सम्पूर्ण लागू किया गया। प्राकृतपैंगलम् जोकि पूर्व में तृतीय इकाई में पठनीय था, वह अब चतुर्थ इकाई में पठनीय किया गया है और इस ग्रन्थ की पठनीय सामग्री पूर्ववत् ही है।
3. द्वितीय सेमेस्टर के पत्र क्रं. PKT-201- प्राकृत काव्य साहित्य के अन्तर्गत चतुर्थ इकाई में वज्जालग्गं नामक ग्रंथ में "सज्जनवज्जा" नामक एक ही विषय था, जो बहुत छोटा विषय था। अब इसमे दो अन्य वज्जाएँ–नीइवज्जा एवं धीरवज्जा को भी सम्मिलित किया गया है।
4. द्वितीय सेमेस्टर के ही पत्र क्रं. PKT-203– "प्राकृत दार्शनिक साहित्य" के अन्तर्गत प्रथम इकाई में भगवतीसूत्र के 11वें अध्याय के स्थान पर आचारांगसूत्र के शस्त्रपरिज्ञा नामक प्रथम अध्याय रखा गया है।
5. सेमेस्टर तृतीय में ऐच्छिक पत्र के रूप में एक नया पत्र जोड़ा गया, जिसका शीर्षक–"सम्पादन, अनुवाद, वर्तनी–शुद्धि एवं पाण्डुलिपि पठन–विधि" रखा गया है। इस पत्र की इकाइयों के अन्तर्गत पठनीय सामग्री इस प्रकार होंगी–

इकाई–1 पाठ–सम्पादन

परिचय, सिद्धान्त और अनुप्रयोग, विधियाँ, सावधानियाँ

इकाई–2 अनुवाद–कार्य (संस्कृत–प्राकृत के विशेष सन्दर्भ में)

परिचय, अनुवाद के प्रकार (शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, रूपान्तरण, व्याख्यानुवाद) अनुवाद के सिद्धान्त समतुल्यता का सिद्धान्त, अर्थ सम्प्रेषण का सिद्धान्त, व्याख्या का सिद्धान्त), अनुवाद के साधन (अनुवादक, शब्दकोश, विषय–विशेषज्ञ, मशीनी उपकरण)।

इकाई–3 वर्तनी शुद्धि–

अशुद्धि संशोधन के चिन्हों का ज्ञान, सावधानियाँ, विषयवस्तु एवं भाषा का ज्ञान।

Scanned by CamScanner

इकाई–4 लिपि–परिचय एवं पाण्डुलिपि का सामान्य परिचय

प्रमुख लिपियों का सामान्य परिचय (शारदा, ब्राह्मी, खरोष्ठी) पाण्डुलिपि का सामान्य परिचय, (पाण्डुलिपि का अर्थ एवं परिभाषाएँ, पाण्डुलिपि के भेद–गुहालेख या भित्तिचित्र, मृदा अभिलेख, पेपीरस अभिलेख, काष्ठ–पट्टी अभिलेख, चर्मपत्र या पार्चमेण्ट), पाण्डुलिपि के प्रकार–लिप्यासन के आधार पर, आकार के आधार पर, लेखन शैली के आधार पर, चित्र–सज्जा के आधार पर।

यह पत्र भी Inter discipinory के रूप में तो होगा ही साथ ही सम्पादन, अनुवाद एवं पाण्डुलिपि की पठन–विधि की अभिक्षमता का विकास करने वाला होगा।

6. इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में विधार्थियों के लिए यह शर्त थी कि विधार्थी प्रथम सेमेस्टर में ऐच्छिक पत्र के रूप में जो पत्र लेगा वही पत्र उस विधार्थी को चारों सेमेस्टर में लेना होगा लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। अब विधार्थी प्रत्येक सेमेस्टर में अपनी रूचि के अनुसार ऐच्छिक पत्र चुन सकता है।

एम.ए. संस्कृत–

1. प्रथम सेमेस्टर के पत्र क्रं. SKT-102 -भाषाशास्त्र एवं भाषा विज्ञान नामक पत्र में प्रथम दो इकाई यथावत् है लेकिन अंतिम दो इकाइयों में कुछ नये बिन्दु समाहित किये गये हैं, जो इन इकाइयों की पाठ्यसामग्री को स्पष्ट करने में सहायक होगा। इस पत्र का स्वरूप इस प्रकार होगा–

इकाई–1: सामान्य भाषा शास्त्र

भाषा की परिभाषा एवं भाषा विज्ञान, स्वरूप, महत्त्व, व्याकरण का संबंध, भाषाओं का वर्गीकरण, प्राच्य भारतीय भाषाविज्ञानविद् (पाणिनि आदि मुनित्रय)

इकाई–2: सामान्य भाषा शास्त्र

भारोपीय भाषा परिवार का परिचय, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत, भारत–ईरानी परिवार, आर्य परिवार के दो समूह–शतम् एवं केन्टुम् वर्ग, भाषा और वाक् में अन्तर, भाषा और बोली में अन्तर।

इकाई–3: ध्वनि एवं पद विज्ञान

संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि–नियम (ग्रिम, ग्रासमान, वर्नर), पदविज्ञान, पद और वाक्य, पद और शब्द, पद और सम्बन्ध तत्व एवं पद विभाग

इकाई–4: वाक्यविज्ञान एवं अर्थविज्ञान

वाक्यविज्ञान– वाक्य का लक्षण तथा भेद, वाक्य में परिवर्तन की दिशाएं तथा कारण, वाक्य विज्ञान का स्वरूप, वाक्य और पदक्रम।

Scanned by CamScanner

अर्थविज्ञान– अर्थ का लक्षण, शब्द और अर्थ का सम्बन्ध, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं अर्थ परिवर्तन के कारण

2. चतुर्थ सेमेस्टर में पत्र क्रं. SKT-403– शोध–प्रविधि नामक पत्र के अन्तर्गत तृतीय इकाई के अंतिम दो बिन्दु–संस्कृत साहित्य में कालनिर्धारण की समस्या एवं समाधान तथा समालोचनात्मक संस्करण–निमार्ण के सिद्धान्त हटा दिये गये हैं क्योंकि ये संदर्भानुकूल नहीं थे।
3. चतुर्थ सेमेस्टर में पत्र क्रं. SKT-404 (i). संस्कृत स्मृति साहित्य तथा विकल्प के रूप में SKT 404 (ii). लघुशोध–प्रबन्ध नामक पत्र था। अब इस पत्र को वैकल्पिक नहीं रखते हुए लघु शोध–प्रबन्ध को अनिवार्य कर दिया गया है और पत्र SKT-404 (i). हटा दिया गया है।
4. सेमेस्टर तृतीय में एम.ए. प्राकृत के समान ही ऐच्छिक पत्र के रूप में एक नया पत्र जोड़ा गया, जिसका शीर्षक–"सम्पादन, अनुवाद, वर्तनी–शुद्धि एवं पाण्डुलिपि पठन–विधि' रखा गया है, इसका विवरण ऊपर दे दिया गया है। यह पत्र Inter discipinory के रूप में तो होगा ही साथ ही सम्पादन, अनुवाद एवं पाण्डुलिपि की पठन–विधि की अभिक्षमता का विकास करने वाला होगा।
5. एम.ए. संस्कृत में भी प्राकृत की भांति ही निर्णय लिया गया कि पूर्व में विधार्थियों के लिए यह शर्त थी कि विधार्थी प्रथम सेमेस्टर में ऐच्छिक पत्र के रूप में जो पत्र लेगा वही पत्र उस विधार्थी को चारों सेमेस्टर में लेना होगा लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। अब विधार्थी प्रत्येक सेमेस्टर में अपनी रूचि के अनुसार ऐच्छिक पत्र चुन सकता है।

उपर्युक्त सुझावों एवं संशोधनो को बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा एकमत से स्वीकार किया गया है। इन सभी संशोधनों से पाठ्यक्रम समिति के माननीय सदस्य प्रो. धर्मचन्द जैन, जोधपुर को भी मेल के द्वारा अवगत करा दिया गया है तथा उन्होंने अपनी स्वीकृति मेल द्वारा ही प्रदान कर दी है।

अन्त में संयोजक डॉ. सत्यनारायण भारद्वाज ने सभी के प्रति आभार ज्ञापित किया और अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक के सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

(डॉ. समणी संगीतप्रज्ञा)
विभागाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

संस्कृत एवं प्राकृत विभाग
जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं (राजस्थान)
पाठ्यक्रम समिति : 03 फरवरी, 2015

बैठक–वृत्त

आज दिनांक 03.02.2015 को संस्कृत एवं प्राकृत विभाग के अन्तर्गत प्राकृत पाठ्यक्रम समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे–

1. प्रो. दामोदर शास्त्री – अध्यक्ष
2. प्रो. ऋषभ चन्द जैन 'फौजदार' – बाह्य विषय विशेषज्ञ (प्राकृत)
3. प्रो. विश्वनाथ मिश्रा – प्रोफेसर
4. प्रो. समणी कुसुम प्रज्ञा – प्रोफेसर
5. डॉ. समणी ऋजु प्रज्ञा – सह–आचार्य
6. डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा – सह–आचार्य
7. डॉ. सत्यनारायण भारद्वाज – सहायक आचार्य
8. समणी भास्कर प्रज्ञा – सहायक आचार्य
9. डॉ. सुनीता इन्दौरिया – सहायक आचार्य

इस बैठक के अन्तर्गत बाह्य एवं स्थानीय विद्वानों के द्वारा प्राकृत–संस्कृत का पाठ्यक्रम जो कि समन्वित (Intigrated) रूप में था और Semester पद्धति से संचालित था, उस पाठ्यक्रम को पृथक्–पृथक् करते हुए CBCS पद्धति के अनुसार किया गया है। सभी के सुझावों के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये, जो इस प्रकार हैं–

- सेमेस्टर प्रणाली में एक से चार सेमेस्टर में कुल 16 पत्र थे, जो CBCS Pattern में बढकर 20 हो गये।
- CBCS Pattern में प्रत्येक पत्र को 4 इकायों में बांटा गया।
- सेमेस्टर प्रणाली में लिखित परीक्षा 75 अंकों की तथा CIA 25 अंकों का था, जो CBCS Pattern में 70 तथा 30 अंकों का किया गया।
- CBCS Pattern में विद्यार्थियों को ऐच्छिक पत्र के चुनाव के लिये अधिक पत्र दिये गये।

सभी के अमूल्य सुझावों के साथ प्राकृत के एम.ए. पाठ्यक्रम को निम्नलिखित रूप में स्वीकृत किया गया–

Semester I		
Sr. No.	**Name of Course (Old Syllabus)**	**Name of Course (New Syllabus)**
1.	Veda	प्राकृत भाषा एवं साहित्य का इतिहास
2.	Jain Canon	प्राकृत व्याकरण, छन्द एवं अलंकार शास्त्र
3.	Sanskrit Grammar and Sanskrit	अर्द्धमागधी आगम साहित्य

Scanned with CamScanner

	Philology	
4.	Jain Philosophical Literature	शौरसेनी साहित्य
5.	-	प्राकृत आचारपरक साहित्य
6.	-	आगमिक व्याख्या साहित्य
7.	-	संस्कृत साहित्य
8.	-	मूल्यपरक शिक्षा
Semester II		
9.	Logic and Philosophical Literature	प्राकृत साहित्य–प्रथम भाग
10.	Prakrit Grammar and Prakrit Philology	नाटक और सट्टक साहित्य
11.	Sanskrit Kāvya Literature	आगमिक दार्शनिक साहित्य
12.	Prakrit Kāvya Literature	शौरसेनी साहित्य
13.	-	प्राकृत आचारपरक साहित्य
14.	-	आगमिक व्याख्या साहित्य
15.	-	संस्कृत साहित्य
16.	-	कम्प्यूटर अनुप्रयोग
Semester III		
17.	Ardhamāgadhī Philosophical Literature	प्राकृत अभिलेख
18.	Śaurasenī Philosophical Literature	अपभ्रंश साहित्य
19.	Prakrit Dramas	प्राकृत कथा एवं चम्पू साहित्य
20.	Alaṅkāra, Deśīnāmamālā and Prosody	प्राकृत दार्शनिक साहित्य
21.	-	शौरसेनी साहित्य
22.	-	प्राकृत आचारपरक साहित्य
23.	-	आगमिक व्याख्या साहित्य
24.	-	संस्कृत साहित्य
Semester IV		
25.	Inscription	प्राकृत साहित्य–भाग 2
26.	Buddhist (Pali) Literature	शोध–प्रविधि एवं पाण्डुलिपि विज्ञान

Scanned with CamScanner

27.	Apabhraṃśa Language and Literature	लघुशोध प्रबन्ध अथवा पालि साहित्य
28.	History of Prakrit Literature and Unseen Essays OR Dissertation	भक्ति एवं मुक्तक साहित्य
29.	-	शौरसेनी साहित्य
30.	-	प्राकृत आचारपरक साहित्य
31.	-	आगमिक व्याख्या साहित्य
32.	-	संस्कृत साहित्य

(प्रो. दामोदर शास्त्री)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि –

1. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति
2. निजी सहायक, कुलसचिव

Scanned with CamScanner

संस्कृत एवं प्राकृत विभाग
जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं (राजस्थान)
पाठ्यक्रम समिति : 03 फरवरी, 2015

बैठक–वृत्त

आज दिनांक 03.02.2015 को संस्कृत एवं प्राकृत विभाग के अन्तर्गत संस्कृत पाठ्यक्रम समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे–

1. प्रो. दामोदर शास्त्री – अध्यक्ष
2. प्रो. रमेश चन्द भारद्वाज – बाह्य विषय विशेषज्ञ (संस्कृत)
3. प्रो. विश्वनाथ मिश्रा – प्रोफेसर
4. प्रो. समणी कुसुम प्रज्ञा – प्रोफेसर
5. डॉ. समणी ऋजु प्रज्ञा – सह–आचार्य
6. डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा – सह–आचार्य
7. डॉ. सत्यनारायण भारद्वाज – सहायक आचार्य
8. समणी भास्कर प्रज्ञा – सहायक आचार्य
9. डॉ. सुनीता इन्दौरिया – सहायक आचार्य

इस बैठक के अन्तर्गत बाह्य एवं स्थानीय विद्वानों के द्वारा प्राकृत–संस्कृत का पाठ्यक्रम जो कि समन्वित (Intigrated) रूप में था और Semester पद्धति से संचालित था, उस पाठ्यक्रम को पृथक्–पृथक् करते हुए CBCS पद्धति के अनुसार किया गया है। सभी के सुझावों के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये, जो इस प्रकार हैं–

- सेमेस्टर प्रणाली में एक से चार सेमेस्टर में कुल 16 पत्र थे, जो CBCS Pattern में बढकर 20 हो गये।
- CBCS Pattern में प्रत्येक पत्र को 4 इकायों में बांटा गया।
- सेमेस्टर प्रणाली में लिखित परीक्षा 75 अंकों की तथा CIA 25 अंकों का था, जो CBCS Pattern में 70 तथा 30 अंकों का किया गया।
- CBCS Pattern में विद्यार्थियों को ऐच्छिक पत्र के चुनाव के लिये अधिक पत्र दिये गये।

सभी के अमूल्य सुझावों के साथ संस्कृत के एम.ए. पाठ्यक्रम को निम्नलिखित रूप में स्वीकृत किया गया–

Semester I		
Sr. No.	Name of Course (Old Syllabus)	Name of Course (New Syllabus)
1.	Veda	वैदिक साहित्य
2.	Jain Canon	व्याकरण एवं भाषाविज्ञान
3.	Sanskrit Grammar and Sanskrit	संस्कृत काव्य साहित्य

Scanned with CamScanner

	Philology	
4.	Jain Philosophical Literature	संस्कृत काव्य साहित्य
5.	-	भारतीय दर्शन
6.	-	प्राकृत साहित्य
7.	-	सांख्ययोग दर्शन
8.	-	कालुव्याकरण
9.		मूल्यपरक शिक्षा
	Semester II	
10.	Logic and Philosophical Literature	दार्शनिक साहित्य
11.	Prakrit Grammar and Prakrit Philology	काव्यशास्त्रीय सिद्धान्त
12.	Sanskrit Kāvya Literature	संस्कृत नाटक व नाट्यशास्त्र
13.	Prakrit Kāvya Literature	भारतीय दर्शन
14.	-	प्राकृत साहित्य
15.	-	सांख्ययोग दर्शन
16.	-	कालुकौमुदी व्याकरण
17.	-	कम्प्यूटर अनुप्रयोग
	Semester III	
18.	Alankāraśāstra (Literary Theory and Criticism)	संस्कृत व्याकरण
19.	Dramaturgy	संस्कृत गद्य साहित्य
20.	Mahākāvya	उपनिषद् व वेदान्त साहित्य
21.	Dramatic Literature	संस्कृत कथा साहित्य
22.		भारतीय दर्शन
23.		प्राकृत साहित्य
24.		सांख्ययोग दर्शन
25.		कालुकौमुदी व्याकरण
	Semester IV	
26.	Nyāya, Sāṃkhya, Vedānta Philosophy	संस्कृत नीतिपरक साहित्य

Scanned with CamScanner

27.	Jaina and Bauddha Philosophy	संस्कृत साहित्य का इतिहास
28.	History of Literature	शोधप्रविधि
29.	Essays and Unseen Passages OR Dissertation	संस्कृत स्मृति साहित्य अथवा लघु शोधप्रबन्ध
30.	-	भारतीय दर्शन
31.	-	प्राकृत साहित्य
32.	-	सांख्ययोग दर्शन
33.	-	कालुकौमुदी व्याकरण

(प्रो. दामोदर शास्त्री)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि –

1. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति
2. निजी सहायक, कुलसचिव

Scanned with CamScanner

Department of Education
Jain Vishva Bharati Institute

Agenda of Academic Council

As per the Notification no JVBI/2017/128, Dated 12-04-2017 Academic Council of JVBI will be held on 29-30 April, 2017. Agenda of the meeting are as follows:-

1. Proposed revised syllabus B.A.-B.Ed. & B.Sc.-B.Ed. (Integrated 4 years). and M.Ed & B.Ed (2 year
2. Proposed new examination scheme.
3. Proposed Academic Calendar.

for
17/4/2017
(Dr. Bhabagrahi Pradhan)

CamScanner

Jain Vishva Bharati Institute

A University dedicated to Oriental Studies & Human Values

by NAAC by MHRD

No. JVBI/2017/Academic Council/ 2079
Date: 19.04.2017

Agenda of the Academic Council to be held on 29th & 30th April, 2017

Reference to the meeting notice dated 12.04.2017. The agenda of the meeting is placed here under:

Agenda Item 1: Approval of minutes of the 30th meeting held on 27th April, 2016.

Agenda Item 2: Department wise Academic Agenda as placed below for approval.

I. Dept. of Jainology and Comparative Religion & Philosophy

1. Proposed syllabus (approved by BOS)
2. On the basis of the recommendation, of the BOS, Department propose to start following short term courses from new session.
   - Jain Astrology
   - Jain Lifestyle and Environment
   - Jain System of Management.
   - Manuscriptology.
3. Proposed New Examination Scheme (approved by BOS).
4. Proposed Academic Calendar
5. A text book Pramana Mimansa is proposed to be replaced with Nyayavatar in Semester III paper I.

II. Dept. of Prachya Vidy Evam Bhasha

1. Proposed modification in P.G. Syllabus (approved by BOS)
2. Proposed modification in syllabus of three month certificate course (approved by BOS)
3. Proposed New Examination Scheme (approved by BOS).
4. Proposed Academic Calendar.

III. Dept. of Yoga and Science of Living

1. Proposed revised syllabus of M.A./M.Sc. Yoga and Science of Living modified by BOS on February 28, 2017.
2. Proposed New Examination Scheme (approved by BOS).
3. Proposed Academic Calendar.

IV. Dept. of Non-violence and Peace

1. Proposed revised syllabus of M.A. in Nonviolence and Peace/Political Science (approved by BOS).
2. Proposed modification in Scheme of Examination (approved by BOS).

CamScanner

3. Proposed Foundation paper of Nonviolence and Peace (approved by BOS).
4. Proposed New Examination Scheme (approved by BOS).
5. Proposed Academic Calendar.

V. Dept. of Social Work

1. To approve the revised syllabus of MSW (approved by BOS).
2. To approve new courses - Master of Public Health (MPH) (approved by BOS).
3. To approve the passing marks criteria of Field Work Practicum and Theory (approved by BOS).
4. To approve the Block Placement after II Semester.
5. To approve the course code in three digit as per need of examination section.
6. To approve the New Exam pattern courses of the Department (approved by BOS).
7. Department proposed Emeritus Processor to Prof. R. B. S. Verma.
8. To approve core elective paper "Self-Management and Preksha Meditation" under inter disciplinary course (approved by BOS).
9. Proposed Academic Calendar.

VI. Dept. of Education

1. Proposed revised syllabus of B.A.-B.Ed. & B.Sc.-B.Ed. (Integrated 4 years) (approved by BOS).
2. Proposed New Examination Scheme (approved by BOS).
3. Proposed Academic Calendar.

VII. Dept. of English

1. Proposed for the changes in the existing P.G. Syllabus (approved by BOS).
2. Proposed for the changes in the existing U.G. Syllabus (approved by BOS).
3. Proposed New Examination Scheme (approved by BOS).
4. Proposed Academic Calendar.

VIII. Acharya Kalu Kanya Mahavidyalaya

1. Proposed changes in B.A./B.Com. Syllabus (approved by BOS).
2. Proposed new courses (Core Foundation Courses - Cultural and Physical Activities (approved by BOS).
3. Proposed New Examination Scheme (approved by BOS).
4. Proposed launching of B.Sc. Course (approved by BOS).
5. Proposed Academic Calendar.

CamScanner

Academic Council

Meeting

of

Academic Council

December 02, 2017

at Ladnun

णाणस्स सारमायारो

Jain Vishva Bharati Institute

(Deemed University)

Ladnun-341306, Rajasthan

CS CamScanner

Academic Council Agenda (December 2, 2017)

1. Granting of leave of absence.
2. Approval of minutes of last meeting held on 29-30 April, 2017.
3. Department wise Academic Agenda.
4. Assessment of progress of sponsored projects.
5. Changes in Examination Rules.
6. Discussion on BMIRC Monograph Writing & It's Guidelines.
7. Discussion on BMIRC Project Proposals & It's Guidelines.
8. Any matter with the permission of Chair.

(Vinod Kumar Kakkar)
Secretary

CamScanner

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं – 341 306 (राजस्थान)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत मान्य विश्वविद्यालय घोषित)

दिनांक 29–30 अप्रैल, 2017 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 29–30 अप्रैल, 2017 को माननीय कुलपति महोदय प्रो. बच्छराज दूगड़ की अध्यक्षता में कुलपति कॉन्फ्रेंस हॉल में विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया–

1.	प्रो. बच्छराज दूगड़, कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो. नलिन कुमार शास्त्री	सदस्य
3.	प्रो. आर.एस. यादव	सदस्य
4.	प्रो. के.एन. व्यास	सदस्य
5.	प्रो. समणी ऋजु प्रज्ञा	सदस्य
6.	प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो. अनिल धर	सदस्य
8.	प्रो. बनवारीलाल जैन	सदस्य
9.	डॉ. बिजेन्द्र प्रधान	सदस्य
10.	डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा	सदस्य
11.	डॉ. समणी श्रेयस प्रज्ञा	सदस्य
12.	डॉ. अमिता जैन	सदस्य
13.	डॉ. रविन्द्रसिंह राठौड़	सदस्य
14.	डॉ. प्रद्युम्नसिंह शेखावत	सदस्य
15.	डॉ. युवराजसिंह खंगारोत	सदस्य
16.	डॉ. सत्यनारायण भारद्वाज	सदस्य
17.	डॉ. गोविन्द सारस्वत	सदस्य
18.	प्रो. दामोदर शास्त्री	विशेष आमंत्रित
19.	डॉ. जुगलकिशोर दाधीच	विशेष आमंत्रित
20.	डॉ. योगेश जैन	विशेष आमंत्रित
21.	डॉ. जितेन्द्र कुमार वर्मा	विशेष आमंत्रित
22.	श्री विनोद कुमार कक्कड़	कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद् के नवीन सदस्यों एवं बैठक में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। दो दिवसीय बैठक में मुख्य रूप से नवीन परीक्षा–स्वरूप, प्रोफेसर एमेरिटस, शोध–परियोजना नियमावली, नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, पूर्व पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन, शुल्क–योजना में परिवर्तन, पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा–आयोजना में लचीलापन (flexibility) आदि विविध विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यक सुझावों के साथ स्वीकृतियाँ प्रदान की गईं। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

(01) अनुपस्थित सदस्यों के अवकाश की स्वीकृति
(Granting of Leave of Absence)

विद्या परिषद् के सदस्यों प्रो. मुनि महेन्द्र कुमार, प्रो. समणी चैतन्य प्रज्ञा, प्रो. समणी कुसुम प्रज्ञा एवं डॉ. समणी रोहिणी प्रज्ञा की बैठक में अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई।

(02) गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।
(Approval of minutes of the 30th Meeting held on 27th April, 2016)

सदन द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

CamScanner

(vi)

शिक्षा विभाग (Department of Education)

विभागाध्यक्ष प्रो. बनवारीलाल जैन द्वारा शिक्षा विभाग के बी.एड., एम.एड., बी.ए.–बी.एड., बी.एस
–बी.एड. पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी सदन के समक्ष प्र
की गई। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–वि
कर उन्हें एवं निम्न कतिपय नवीन निर्णयों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई–

- शिक्षा विभाग के सभी पाठ्यक्रमों हेतु NCTE द्वारा निर्धारित Framework की पूर्ण रूप
अनुपालना की जाए।
- एम.एड. की परीक्षा–आयोजना आगामी सत्र (2017-18) से नवीन परीक्षा–प्रणाली के आधार
आयोजित की जाए, जो आगामी सत्र के प्रवेशार्थियों पर ही लागू होगी।
- एम.एड. के EPC (Enhancement Professonal Capacity) पत्रों को पाठ्यक्रम से हटाया जाए
उनके स्थान पर Core Foundation पत्र के रूप में स्नातकोत्तर हेतु निर्धारित पत्रों को ही
जाए।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में Core Foundation पत्र के रूप
प्रथम सेमेस्टर में "Introduction to Jainism" एवं तृतीय सेमेस्टर में "Yoga and Prek
Meditation" तथा "Critical Understanding of ICT" दो अनिवार्य पत्र (50–50 अंक)
जाएंगे।
- बी.एससी.–बी.एड. के विद्यार्थी जिन्होंने वर्तमान सत्र (2016–17) में प्रथम सेमेस्टर में "Yo
and Preksha Meditation" एवं "Value Education" पत्र की परीक्षाएँ दी हैं, उनके लिए तृती
सेमेस्टर में "Introduction to Jainism" एवं "Critical Understanding of ICT" दो अनिवार्य–
(50–50 अंक) के रूप में परीक्षाएँ आयोजित की जाएँ।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रथम सेमेस्टर के पत्र "Preksh
Meditation and Yoga Education" को हटाया गया, क्योंकि इसे तृतीय सेमेस्टर में Co
Foundation में "Yoga and Preksha Meditation" अनिवार्य पत्र के रूप में जोड़े जाने
अनुशंसा की गई है।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में Internship का समय अधिक हो
के कारण प्रत्येक सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को 22 क्रेडिट के स्थान पर 20 क्रेडिट में परिवर्ति
किया जाए।

विभागाध्यक्ष द्वारा शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित परीक्षा–स्वरूप क
विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझा
गए आवश्यक संशोधनों तथा शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुझावों
समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- शिक्षा संकाय के सभी पत्रों में Internship में उत्तीर्ण होने हेतु विद्यार्थी को न्यूनत
50 प्रतिशत अंक अर्जित करने अनिवार्य होंगे एवं Internship में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी क
उस पूरे पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
- स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय के 3 पत्रों हेतु पृथक्–पृथक् सैद्धान्ति
परीक्षाओं का आयोजन किया जाए एवं प्रत्येक पत्र के लिए 20 अंकों (कुल 60 अंक) क
निर्धारण किया जाए।
- स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों हेतु अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा–

Theory	CIA	Practical
60	15	25

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academ
Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या–परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की।

CamScanner

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं – 341 306 (राजस्थान)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अर्न्तगत मान्य विश्वविद्यालय घोषित)

दिनांक 29–30 अप्रैल, 2017 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 29–30 अप्रैल, 2017 को माननीय कुलपति महोदय प्रो. बच्छराज दूगड़ की अध्यक्षता में कुलपति कॉन्फ्रेंस हॉल में विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया–

1.	प्रो. बच्छराज दूगड़, कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो. नलिन कुमार शास्त्री	सदस्य
3.	प्रो. आर.एस. यादव	सदस्य
4.	प्रो. के.एन. व्यास	सदस्य
5.	प्रो. समणी ऋजु प्रज्ञा	सदस्य
6.	प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो. अनिल धर	सदस्य
8.	प्रो. बनवारीलाल जैन	सदस्य
9.	डॉ. बिजेन्द्र प्रधान	सदस्य
10.	डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा	सदस्य
11.	डॉ. समणी श्रेयस प्रज्ञा	सदस्य
12.	डॉ. अमिता जैन	सदस्य
13.	डॉ. रविन्द्रसिंह राठौड़	सदस्य
14.	डॉ. प्रद्युम्नसिंह शेखावत	सदस्य
15.	डॉ. युवराजसिंह खंगारोत	सदस्य
16.	डॉ. सत्यनारायण भारद्वाज	सदस्य
17.	डॉ. गोविन्द सारस्वत	सदस्य
18.	प्रो. दामोदर शास्त्री	विशेष आमंत्रित
19.	डॉ. जुगलकिशोर दाधीच	विशेष आमंत्रित
20.	डॉ. योगेश जैन	विशेष आमंत्रित
21.	डॉ. जितेन्द्र कुमार वर्मा	विशेष आमंत्रित
22.	श्री विनोद कुमार कक्कड़	कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद् के नवीन सदस्यों एवं बैठक में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। दो दिवसीय बैठक में मुख्य रूप से नवीन परीक्षा–स्वरूप, प्रोफेसर एमेरिटस, शोध–परियोजना नियमावली, नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, पूर्व पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन, शुल्क–योजना में परिवर्तन, पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा–आयोजना में लचीलापन (flexibility) आदि विविध विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यक सुझावों के साथ स्वीकृतियाँ प्रदान की गईं। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

(01) अनुपस्थित सदस्यों के अवकाश की स्वीकृति
(Granting of Leave of Absence)

विद्या परिषद् के सदस्यों प्रो. मुनि महेन्द्र कुमार, प्रो. समणी चैतन्य प्रज्ञा, प्रो. समणी कुसुम प्रज्ञा एवं डॉ. समणी रोहिणी प्रज्ञा की बैठक में अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई।

(02) गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।
(Approval of minutes of the 30th Meeting held on 27th April, 2016)

सदन द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

प्राचार्य
कानूकन्या महाविद्यालय
जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय
लाडनूं 341306 (राज.)

CamScanner

की संख्या में 1 अतिरिक्त पत्र जोड़कर की जाएगी, जैसे–5 पत्रों की स्थिति में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 पत्र एवं 7 पत्रों की स्थिति में न्यूनतम 4 पत्र उत्तीर्ण करने पर ही आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा।

- विद्यार्थियों को अधिकतम 2 अंकों का अनुग्रह (Grace) केवल अन्तिम परीक्षा–परिणाम में उत्तीर्ण होने हेतु प्रदान किया जा सकेगा। इसी प्रकार श्रेणी सुधार हेतु भी अधिकतम 2 अंकों का अनुग्रह (Grace) प्रदान किया जा सकेगा। अन्तिम परिणाम में उत्तीर्ण होने हेतु एवं श्रेणी सुधार हेतु संयुक्त अनुग्रह (Grace) अधिकतम 2 अंकों का ही प्रदान किया जाएगा।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को सभी पत्र उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा एवं उनकी परीक्षा आयोजना परीक्षा–काल के दौरान लागू नवीन पाठ्यक्रम एवं परीक्षा–योजना के अनुरूप ही होगी।
- किसी कारणवश किसी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने वाले विद्यार्थियों को आगामी सेमेस्टर में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं होगी एवं वंचित रहे सेमेस्टर की परीक्षाएं आगामी वर्ष में उस सेमेस्टर की परीक्षा–आयोजना के साथ ही देनी होंगी।
- अगर विद्यार्थी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के किसी भी पत्र, जिसमें सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों का समावेश है; की प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो वह विद्यार्थी केवल उसी पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा एवं ऐसी अवस्था में विद्यार्थी को उस पत्र की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं पुनः देनी होंगी।

(B) विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम

(i) जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग (Dept. of Jainology and Comparative Religion & Philosophy)

विभागाध्यक्ष प्रो. समणी ऋजुप्रज्ञा ने विद्या परिषद को यह जानकारी दी की एम.ए. के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार किया गया एवं पाठ्यक्रम में अन्य आवश्यक संशोधनों हेतु भी कई सुझाव प्रदान किये। पाठ्यक्रम में सभी आवश्यक संशोधनों को शामिल किये जाने के सुझाव के साथ विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई।

विभागाध्यक्ष द्वारा एम.ए. जैनविद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन के पाठ्यक्रम में सेमेस्टर–3 के प्रथम पत्र में 'न्यायावतार' नामक मूल ग्रंथ के स्थान पर 'प्रमाण–मीमांसा' को शामिल किये जाने का अध्ययन–मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव रखा, जिसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

विभागाध्यक्ष ने अध्ययन मण्डल की संस्तुति के आधार पर आगामी सत्र से विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित नवीन अल्पावधि पाठ्यक्रमों (MOOC – Massive Open Online Courses) को प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव रखा–

- जैन ज्योतिष (Jain Astrology)
- जैन जीवनशैली एवं पर्यावरण (Jain Lifestyle and Environment)
- प्रबन्धन : जैन प्रणाली (Jain System of Management)
- पाण्डुलिपि विज्ञान (Manuscriptology)
- विवाह–पूर्व परामर्श (Pre-Marriage Counselling)

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक एवं समान संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

CamScanner

(03) निम्नलिखित विभागों /महाविद्यालय में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधित/नवीन पाठ्यक्रमों एवं उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन –
(Discussion and approval of recommended syllabus (amended/new) by Board of Studies of their respective departments)–

(A) परीक्षा प्रारूप एवं नियम

सर्वप्रथम सभी विभागों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार संबंधित प्राध्यापक द्वारा ही प्रश्न–पत्र तैयार कर इकाई–परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा एवं पूर्ण पारदर्शिता एवं ईमानदारी से उसका मूल्यांकन किया जाएगा। पारदर्शिता एवं ईमानदारी के मूल्यांकन हेतु समय–समय पर बाह्य परीक्षकों के प्रश्न–पत्रों से भी परीक्षा–आयोजना करवाई जाएगी। यह परीक्षा प्रणाली आगामी सत्र 2017–18 से लागू होगी।

विद्या परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा इस नवीन परीक्षा–प्रणाली की प्रशंसा की गई एवं इसे अति नवीन एवं प्रभावी बताया गया, जिसमें भारतीय एवं विदेशी दोनों परीक्षा–प्रणालियों का समायोजन है। नवीन शिक्षण–पद्धतियों के अनुसार इसे और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा–प्रणाली में निम्न सुझावों के समावेश के साथ विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई–

- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु प्रत्येक सेमेस्टर में दो बार Unit End Test आयोजित किया जाएगा। Unit End Test में एक साथ दो इकाइयों की परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसके अंक–विभाजन का प्रारूप निम्न प्रकार होगा–

Unit End Test	CIA	Term Paper
60	20	20

- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु विद्यार्थियों द्वारा Term Paper में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट Smart Board पर प्रस्तुत की जाए एवं इस हेतु Smart Board के उपयोग में विद्यार्थियों को दक्ष बनाने हेतु एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जाए।
- स्नातकोत्तर स्तर पर "Core-Foundation" के रूप में विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में Introduction to Jainism एवं द्वितीय सेमेस्टर में 7 वैकल्पिक पत्र–Value Education and Spirituality; Information Technology and Computer Application; The Use of English; Nonviolence and Peace; Preksha Meditation and Self-Management; Introduction to Prakrit; Social Work: Themes and Practice उपलब्ध होंगे, जिनमें से विद्यार्थी किसी एक पत्र का चयन करेगा। विद्यार्थी जिस विभाग का होगा उस विभाग के वैकल्पिक–पत्र का चयन नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार जैन विद्या के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को "Core-Foundation" के रूप में प्रथम सेमेस्टर में "Nonviolence and Peace" तथा द्वितीय सेमेस्टर में 6 वैकल्पिक पत्र–Value Education and Spirituality; Information Technology and Computer Application; The Use of English; Preksha Meditation and Self-Management; Introduction to Prakrit; Social Work: Themes and Practice उपलब्ध होंगे, जिनमें से विद्यार्थी किसी एक पत्र का चयन कर सकेगा।
- सभी विभागों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लघु शोध–प्रबन्ध पत्र में लघु शोध–प्रबन्ध हेतु 60 अंक एवं मौखिकी परीक्षा हेतु 40 अंक निर्धारित किये गये। उत्तीर्णांक हेतु सामूहिक रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। मौखिक परीक्षा में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु उत्तीर्णांक प्रत्येक पत्र हेतु 36 प्रतिशत एवं सभी पत्रों हेतु सामूहिक रूप से 40 प्रतिशत होंगे।
- उत्तीर्णांकों में किये गए नवीन परिवर्तनों के अनुरूप CGPA की ग्रेडिंग 36–49% से प्रारम्भ होगी।
- संस्थान द्वारा Provisonal Merit List ही जारी की जाएगी। पूनर्मुल्यांकन के बाद बढ़े अंकों का प्रभाव Merit List पर नहीं पड़ेगा।
- विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के न्यूनतम 50 प्रतिशत पत्रों में उत्तीर्ण होने पर ही अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। पत्रों की संख्या विषम होने की स्थिति में 50 प्रतिशत पत्रों की गणना पत्रों

CamScanner

(ii) प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग (Dept. of Prachya Vidya Evam Bhasha)

विभागाध्यक्ष डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा ने सदन को यह जानकारी दी की एम.ए. संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा आंशिक परिवर्तन किया गया है। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर स्वीकृति प्रदान की। सदस्यों द्वारा एम.ए. प्राकृत में लघु शोध–प्रबन्ध को अनिवार्य पत्र के रूप में लागू किये जाने एवं पाली–साहित्य को Elective Papers में शामिल किये जाने अथवा पूर्णतः हटा दिये जाने का सुझाव दिया गया। प्रो. के.एन. व्यास द्वारा शोध–प्रविधि पत्र के शीर्षकों में विषय की आवश्यकता के अनुसार बदलाव किये जाने का सुझाव दिया, जिसे सदन ने स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा अध्ययन–मण्डल द्वारा अनुमोदित संस्कृत एवं प्राकृत के त्रैमासिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों में किये गये संशोधनों को प्रस्तुत किया गया। सदन ने इन पाठ्यक्रमों में व्याकरण आदि का अधिक समावेश न कर सामान्य व्यक्ति को संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में संभाषण हेतु सक्षम बनाने की दृष्टि से पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधनों का सुझाव दिया। इन त्रैमासिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हता के लिए 10वीं उत्तीर्ण अथवा न्यूनतम 18 वर्ष उम्र का निर्धारण किया गया।

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद के सदस्यों ने सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक एवं समान संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद् र द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(iii) योग एवं जीवन विज्ञान विभाग (Dept. of Yoga and Science of Living)

विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रद्युम्नसिंह शेखावत ने एम.ए./एम.एस.सी. योग एवं जीवन विज्ञान के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा स्वीकृत आवश्यक संशोधनों की जानकारी सदन के समक्ष रखी। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर अन्य आवश्यक संशोधनों हेतु भी कई सुझाव प्रदान किये–

- यदि किसी सेमेस्टर में कोई आनुप्रायोगिक पाठ्यक्रम शामिल किया जाता है तो यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए कि उस आनुप्रायोगिक पाठ्यक्रम से संबंधित सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम भी उसी सेमेस्टर में अथवा उससे पूर्व के किसी सेमेस्टर में शामिल किया गया हो।
- Dietetics एवं Nutrition पत्र को वैकल्पिक पत्रों की सूची में शामिल किया जाए अथवा 'प्रेक्षाध्यान एवं स्वास्थ्य–प्रबन्धन' पत्र में समायोजित किया जाए।
- 'Introduction of Ayurveda' पत्र के स्थान पर किसी अन्य उपयोगी पत्र को प्रतिस्थापित किया जाए।

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा योग एवं जीवन–विज्ञान विभाग के पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विशेष संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- जीवन विज्ञान विभाग के प्रायोगिक पत्र में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे एवं इस पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी उस सम्पूर्ण पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(iv) अहिंसा एवं शांति विभाग (Dept. of Non-Violence & Peace)

प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉ. रविन्द्रसिंह राठौड़ ने एम.ए. अहिंसा एवं शांति तथा एम.ए. राजनीति विज्ञान के अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। विद्या

CamScanner

परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर कई सुझाव प्रदान किये–

- सदन ने माननीय कुलपति महोदय से प्राप्त सुझावानुसार एम.ए. अहिंसा एवं शांति; तथा राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रमों में प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित 'Project & Practical' पत्र को हटाकर इसके स्थान पर प्रथम सेमेस्टर में 'Basic Principals of Gandhian Thought' एवं द्वितीय सेमेस्टर में 'Political Sociology' पत्रों को शामिल किये जाने की अनुशंसा की, वहीं एम.ए. राजनीति विज्ञान के तृतीय पत्र में 'Project & Practical' पत्र के स्थान पर 'Federalism and Union State Relations in India' पत्र को लागू किये जाने की अनुशंसा की, जिसे सदन ने सर्वस्वीकृति प्रदान की, जिसे सदन ने सर्वस्वीकृति प्रदान की।
- पाठ्यक्रम में प्रो. आर.एस. यादव के सुझावानुसार अहिंसा एवं शांति; तथा राजनीति विज्ञान में वर्तमान में सम्मिलित एवं प्रचलित नवीन सिद्धान्तों, विचारों, नवीन सन्दर्भ पुस्तकों को शामिल किये जाने एवं शीर्षकों में आवश्यक सामान्य बदलावों के समावेश के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु विद्या परिषद् ने स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा अहिंसा एवं शांति विभाग के पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यक संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- अहिंसा एवं शांति विभाग में प्रायोगिक पत्र "Training in Nonviolence" में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे एवं इस पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी उस सम्पूर्ण पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा अर्थात् उसे उस पत्र की सैद्धान्तिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं पुनः देनी होंगी।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(v) समाज कार्य विभाग (Dept. of Social Work)

विभागाध्यक्ष डॉ. बिजेन्द्र प्रधान ने एम.ए. समाजकार्य के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित आवश्यक संशोधनों की जानकारी सदन के समक्ष रखी, जिसमें मुख्य रूप से सेमेस्टर–3 के चतुर्थ पत्र के शीर्षक "Employee Welfare and Social Security" को "Labour Welfare and Social Security" के रूप में परिवर्तित करने एवं अधिकांश विश्वविद्यालयों में वर्तमान में लागू परम्परा के अनुसार विद्यार्थियों को चतुर्थ सेमेस्टर के स्थान पर द्वितीय सेमेस्टर के पश्चात् Block Placement हेतु भेजे जाने के सुझाव थे। इसके अतिरिक्त अध्ययन मण्डल द्वारा कुछ पत्रों में भी संक्षिप्त संशोधन सुझाये गए। विद्या परिषद् ने पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा समाजकार्य के पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विशेष संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- Field Work Practicum (Internal+External) में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आवश्यक रूप से अर्जित करने होंगे एवं Field Work Practicum में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
- Field Work हेतु अधिकतम 200 अंकों का निर्धारण किया गया, जिसमें से बाह्य परीक्षक के पास 160 अंक (120 अंक Viva-voce + 40 अंक Compiled Report) एवं संबंधित Supervisor के पास 40 अंक का मूल्यांकन होगा।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

CamScanner

(vi) **शिक्षा विभाग (Department of Education)**

विभागाध्यक्ष प्रो. बनवारीलाल जैन द्वारा शिक्षा विभाग के बी.एड., एम.एड., बी.ए.–बी.एड., बी.एससी. –बी.एड. पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर उन्हें एवं निम्न कतिपय नवीन निर्णयों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई–

- शिक्षा विभाग के सभी पाठ्यक्रमों हेतु NCTE द्वारा निर्धारित Framework की पूर्ण रूप से अनुपालना की जाए।
- एम.एड. की परीक्षा–आयोजना आगामी सत्र (2017-18) से नवीन परीक्षा–प्रणाली के आधार पर आयोजित की जाए, जो आगामी सत्र के प्रवेशार्थियों पर ही लागू होगी।
- एम.एड. के EPC (Enhancement Professonal Capacity) पत्रों को पाठ्यक्रम से हटाया जाए एवं उनके स्थान पर Core Foundation पत्र के रूप में स्नातकोत्तर हेतु निर्धारित पत्रों को ही रखा जाए।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में Core Foundation पत्र के रूप में प्रथम सेमेस्टर में "Introduction to Jainism" एवं तृतीय सेमेस्टर में "Yoga and Preksha Meditation" तथा "Critical Understanding of ICT" दो अनिवार्य पत्र (50–50 अंक) रखे जाएंगे।
- बी.एससी.–बी.एड. के विद्यार्थी जिन्होंने वर्तमान सत्र (2016–17) में प्रथम सेमेस्टर में "Yoga and Preksha Meditation" एवं "Value Education" पत्र की परीक्षाएँ दी हैं, उनके लिए तृतीय सेमेस्टर में "Introduction to Jainism" एवं "Critical Understanding of ICT" दो अनिवार्य–पत्र (50–50 अंक) के रूप में परीक्षाएँ आयोजित की जाएँ।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रथम सेमेस्टर के पत्र "Preksha Meditation and Yoga Education" को हटाया गया, क्योंकि इसे तृतीय सेमेस्टर में Core-Foundation में "Yoga and Preksha Meditation" अनिवार्य पत्र के रूप में जोड़े जाने की अनुशंसा की गई है।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में Internship का समय अधिक होने के कारण प्रत्येक सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को 22 क्रेडिट के स्थान पर 20 क्रेडिट में परिवर्तित किया जाए।

विभागाध्यक्ष द्वारा शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुझावों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- शिक्षा संकाय के सभी पत्रों में Internship में उत्तीर्ण होने हेतु विद्यार्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने अनिवार्य होंगे एवं Internship में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को उस पूरे पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
- स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय के 3 पत्रों हेतु पृथक्–पृथक् सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए एवं प्रत्येक पत्र के लिए 20 अंकों (कुल 60 अंक) का निर्धारण किया जाए।
- स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों हेतु अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा–

Theory	CIA	Practical
60	15	25

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या–परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की।

CamScanner

(vii) अंग्रेजी विभाग (Department of English)

विभागाध्यक्ष डॉ. गोविन्द सारस्वत ने एम.ए. अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी प्रदान की, जो निम्नानुसार थी–

- प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय पत्र "Literature for Human Values" को पाठ्यक्रम से हटाया गया एवं तृतीय पत्र "Selections from Chaucer to Blake" को द्वितीय पत्र में "Poetry: Chaucer to Milton" शीर्षक से एवं चतुर्थ पत्र "Wordsworth to Eliot" को द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय पत्र "Communication and References Skills" को हटाकर उसके स्थान पर "British Poetry: Romantic Victorian and Modern" शीर्षक से जोड़ा गया। तृतीय पत्र में "Indian English Poetry" एवं चतुर्थ पत्र में "Literary Criticism: Ancient" नामक नवीन पत्र जोड़े गए।
- द्वितीय सेमेस्टर में तृतीय पत्र में "Literature for Indian Values" पत्र के साथ नवीन पत्र "Drama" वैकल्पिक पत्र के रूप में जोड़ा गया एवं चतुर्थ पत्र "New Literature in English" की पाठ्यसामग्री को तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में संबंधित साहित्य के पत्रों के साथ समायोजित की गई एवं इसके स्थान पर "Literary Criticism" नामक नवीन पत्र जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के प्रथम पत्र "Career Communication Skills" को हटाकर इसके स्थान पर "American Literature" नामक नवीन पत्र एवं द्वितीय पत्र की इकाई "Jawaharlal Nehru – The Discovery of India" को हटाकर इसके स्थान पर "Age of Blindness / Andha Yuga – Dharamveer Bharti" को जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के तृतीय पत्र "Translation – Theory and Practice" को पंचम पत्र में प्रथम वैकल्पिक पत्र के रूप में जोड़ा गया एवं तृतीय पत्र के रूप में "Literary Criticism" नामक नवीन पत्र को जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र के द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Indian Classics in Translation" की प्रथम इकाई "Bharta: Natya Shastra (Chapter-1)" को द्वितीय सेमेस्टर के पंचम पत्र में समायोजित किया गया एवं द्वितीय इकाई "Shudrak: Mrichhkatikam" को द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में समायोजित किया गया।
- तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र के दोनों वैकल्पिक पत्रों के स्थान पर निम्न दो नवीन पत्रों को सम्मिलित किया गया–
  - "World Classics in Translation" पत्र के स्थान पर "Fiction"
  - "Indian Classics in Translation" पत्र के स्थान पर "Fiction : Indian"
- तृतीय सेमेस्टर के पंचम पत्र के प्रथम वैकल्पिक पत्र "Indian Writing in English Novels & Short Stories" को शीर्षक परिवर्तित कर तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Fiction : Indian" के रूप में जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के पंचम पत्र में द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Indian Writing in English: Poetry" के स्थान पर चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय पत्र "English Language Teaching" को जोड़ा गया।
- चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम पत्र "English in India" को हटाकर इसके स्थान पर चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय पत्र की पाठ्यसामग्री को रूपान्तरित कर "Contemporary Critical Theory" नामक नवीन शीर्षक के रूप में जोड़ा गया एवं द्वितीय पत्र के रूप में "African Writing in English" नवीन पत्र को जोड़ा गया।
- चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय पत्र "Literary Theories" के स्थान पर "Contemporary Poetry" नामक नवीन पत्र को जोड़ा गया।
- चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में प्रथम वैकल्पिक पत्र "Literature of Protest in India" के स्थान पर "Post Colonial Literature" एवं द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Folk Literature of India" के स्थान पर "Literature of the Protest" नामक नवीन पत्र को जोड़ा गया, जिसमें प्रथम वैकल्पिक पत्र "Literature of Protest in India" की दो इकाइयों "Om Prakash Valmiki: Joothan" एवं "Faustina Soosairaj Bama: Sangati" को भी समायोजित किया गया।

CamScanner

इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष ने पाठ्यक्रम में किये गये संक्षिप्त बदलावों की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की। विद्या परिषद् के सदस्यों ने अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर पाठ्यक्रम में अन्य आवश्यक संशोधनों हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रदान किये गए–

- तृतीय सेमेस्टर के द्वितीय पत्र में से हटाई गई "Jawaharlal Nehru – The Discovery of India" इकाई को चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र "Post Colonial Literature" में समायोजित किया जाए।
- चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय पत्र में 'Snow Man' कविता को हटाया जा सकता है एवं कमलादास की किसी एक कविता को शामिल किया जा सकता है।
- पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में दी गई सन्दर्भ पुस्तकों की सूची प्रत्येक संबंधित पत्र के अंत में दी जाए।

विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों हेतु सदन द्वारा प्रदत्त नवीन सुझावों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।

विभागाध्यक्ष ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद के सदस्यों ने सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक एवं समान संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(viii) आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय (Acharya Kalu Kanya Mahavidyalaya)

महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्या डॉ. अमिता जैन द्वारा सत्र 2017–18 में महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जाने एवं इस हेतु बी.एससी.–बी.एड. में संचालित बी.एससी. के पाठ्यक्रम को ही लागू किया जाने तथा कला एवं वाणिज्य संकाय के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों तथा कला संकाय में नवीन विषय 'राजस्थानी साहित्य' को जोड़े जाने की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर कुछ नवीन संशोधन भी सुझाए। विद्या परिषद् द्वारा निम्न निर्णयों के साथ सभी आवश्यक संशोधनों एवं विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई–

- कला संकाय के किसी भी वैकल्पिक–पत्र का न्यूनतम 15 विद्यार्थियों द्वारा चयन किये जाने पर ही सत्र में उस वैकल्पिक–पत्र का अध्यापन करवाया जाएगा। संस्थान के केवल Core विषयों–जैन विद्या; संस्कृत; प्राकृत; अहिंसा एवं शांति; तथा योग एवं जीवन–विज्ञान हेतु यह नियम लागू नहीं होगा। यही व्यवस्था विज्ञान संकाय पर भी लागू होगी।
- कला संकाय के सेमेस्टर–6 में 'हिन्दी साहित्य' विषय के पत्र का शीर्षक 'प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं अनुवाद' को अध्ययन मण्डल द्वारा 'हिन्दी भाषा एवं काव्यांग विवेचन' शीर्षक के रूप में परिवर्तित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया, जिसे विद्या परिषद् द्वारा परिवर्तित न करते हुए पूर्ववत 'प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं अनुवाद' रखे जाने का निर्णय लिया।
- वाणिज्य संकाय के सेमेस्टर–5 के द्वितीय पत्र का शीर्षक "Industrial Law" को अध्ययन मण्डल द्वारा "Economical Law" शीर्षक के रूप में परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन किया, जिसे विद्या परिषद् ने परिवर्तित करते हुए "Industrial and Economical Law" किये जाने का निर्णय लिया।
- विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय के 3 पत्रों हेतु पृथक्–पृथक् सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए एवं प्रत्येक पत्र के लिए 20 अंकों (कुल 60 अंक) का निर्धारण किया जाए।
- विज्ञान संकाय के विषयों हेतु अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा–

Theory	CIA	Practical
60	15	25

प्राचार्या द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

CamScanner

(ix) दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

- दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी सदन को दी। प्रो. नलिन शास्त्री द्वारा सत्रीय-कार्य हेतु प्रस्तावित नई प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पाठ्यक्रम के प्रत्येक पत्र में से 15 निबन्धात्मक प्रश्नों का चयन कर विद्यार्थियों को उसी चयनित समूह में से अपनी रुचि के स्नातक स्तर पर 3 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 4 प्रश्न हल करने हेतु संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का सुझाव दिया, जिसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया।
- बी.पी.पी. के नवीन संशोधित पाठ्यक्रम में दो पत्रों के स्थान पर पांच पत्रों के समावेश को स्वीकृति प्रदान की गई। पूर्व पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजना के नियमानुसार यदि विद्यार्थी अपने दोनों पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता था तो उसे आगामी वर्ष में सभी प्रश्न-पत्रों की पुनः परीक्षा देनी होती थी, जबकि वर्तमान संशोधित पाठ्यक्रम में पांच पत्र हैं अतः विद्यार्थी के उत्तीर्ण पत्रों को आगामी वर्ष में भी उत्तीर्ण मानते हुए सिर्फ अनुत्तीर्ण पत्रों हेतु ही पुनः परीक्षा दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे विद्या परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
- निदेशक प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने विद्यार्थी द्वारा परीक्षा-परिणाम की घोषणा तक सत्रीय कार्य जमा नहीं करवा पाने की स्थिति में विद्यार्थी को सत्रीय कार्य जमा करवाने हेतु कुछ दिवस का अन्तिम अवसर दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया, एतदर्थ विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम रोककर विद्यार्थी को सत्रीय कार्य जमा करवाने हेतु अन्तिम अवसर के रूप में परीक्षा परिणाम की घोषणा से अधिकतम 45 दिन का समय दिये जाने की सदन द्वारा स्वीकृति दी गई। सदन द्वारा रोके जाने वाले परीक्षा परिणामों को "RW" (Result Withheld – Due to Assignment) के रूप में दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु उत्तीर्णांक प्रत्येक पत्र हेतु 36 प्रतिशत एवं सभी पत्रों हेतु सामूहिक रूप से 40 प्रतिशत होंगे।

(x) शोध (Research)

सहायक शोध-निदेशक डॉ. जितेन्द्र वर्मा द्वारा सदन को जानकारी प्रदान की गई कि संस्थान द्वारा अपनी शोध-नियमावली में नवीन UGC Research Regulation 2016 एवं यूजीसी के शोध संबंधी सभी आवश्यक नियमों को भी शामिल किया गया है एवं इनकी पूर्ण अनुपालना की जा रही है। नये शोध नियमों के अनुसार RAC (Research Advisory Committee) का गठन किया गया है एवं Research Regulation 2009 के अनुसार आयोजित किये जाने वाले Course Work की परीक्षा-आयोजना में संबंधित विभाग के विषय का एक प्रश्न-पत्र भी शामिल किया गया है।

- RET परीक्षा में पूर्व में उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत अंक थे, जिसे संशोधित कर वर्तमान में उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत अंक को स्वीकृति प्रदान की गई।
- अहिंसा एवं शांति विभाग में पी-एच्.डी. शोधार्थियों हेतु अहिंसा एवं शांति विषय की वार्षिक फीस 15,000/- तथा योग एवं जीवन विज्ञान विभाग में पी-एच्.डी. शोधार्थियों हेतु नवीन वार्षिक फीस 15,000/- किये जाने का प्रस्ताव रखा गया।
- शोध हेतु विभागवार पूर्व प्रस्तावित विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित नवीन विषयों को Allied विषय के रूप में शामिल किये जाने का प्रस्ताव रखा गया-
  - जैनविद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन विभाग-हिन्दी एवं राजस्थानी
  - प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग-अपभ्रंश तथा हिन्दी विषय से पीएच्.डी. हेतु-हिन्दी, राजस्थानी
  - अहिंसा एवं शांति विभाग-मूल्य शिक्षा, शांति शिक्षा, हिन्दी, इतिहास तथा लोक प्रशासन
  - जीवन विज्ञान विभाग-शिक्षा, संस्कृत, समाजशास्त्र तथा शारीरिक शिक्षा
  - समाज कार्य विभाग-मानवाधिकार, लैंगिक अध्ययन, समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास तथा मानव संसाधन प्रबंधन।
- शोध-निर्देशक के रूप में डॉ. समणी हिमप्रज्ञा एवं डॉ. गोविन्द सारस्वत की स्वीकृति प्रदान की गई।

सदन ने प्रस्तावित एम.फिल./पीएच.डी. अध्यादेश-2016 के बिन्दु-21 (Unfair Means and Plagiarism) हेतु माननीय कुलपति महोदय को स्थाई समिति (Standing Committee) के निर्माण

CamScanner

हेतु अधिकृत किया गया। सदन द्वारा नवीन शोध–नियमानुसार विश्वविद्यालय में सभी पूर्णकालिक शोधार्थियों से Stamp Paper पर किसी अन्य स्थान पर कार्य न करने की Undertaking लेने का सुझाव दिया गया। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित नवीन शोध अध्यादेश–2016 को उपरोक्त सभी परिवर्तनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।

(04) संस्थान के MOA में निर्दिष्ट विद्या परिषद् के संगठन में बिन्दु संख्या–9 की अनुपालना में (तीन सदस्य जो संस्थान के शैक्षणिक सदस्य नहीं होंगे एवं विद्या–परिषद् द्वारा उनके विशेष ज्ञान के आधार पर नियुक्त किये जाएँगे) पूर्व में नियुक्त तीनों विद्वानों का द्विवर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर विद्या परिषद् द्वारा उनके स्थान पर निम्न तीन विद्वानों को आगामी दो वर्ष हेतु विद्या–परिषद् सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई–

1. प्रो. के.एस. भारती, नागपुर, महाराष्ट्र
2. प्रो. भागचन्द जैन 'भास्कर', नागपुर, महाराष्ट्र
3. प्रो. ए.के. मलिक, जोधपुर

(05) अहिंसा एवं शांति विभाग में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापकों हेतु निम्न प्रकार पदों की स्वीकृतियां प्रदान की गईं–

- आचार्य (Professor)–01
- सह–आचार्य (Associate Professor)–01
- सहायक–आचार्य (Assistant Professor)–02

(06) प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग में संस्कृत प्राध्यापक (सहायक–आचार्य) पद की स्वीकृति प्रदान की गई।

(07) संस्थान में शिक्षा विभाग में वर्तमान में संचालित बी.एससी.–बी.एड. पाठ्यक्रम एवं आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय में नवीन सत्र से विज्ञान संकाय प्रारम्भ किया जा रहा है, अतः इस हेतु निम्न पदों की नवीन स्वीकृतियां प्रदान की गईं–

- गणित–01
- भौतिक विज्ञान–01
- रसायन विज्ञान–01
- जीव–विज्ञान–01
- वनस्पति–शास्त्र–01

(08) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव–विज्ञान एवं वनस्पति–शास्त्र की प्रयोगशालाओं में तकनीकी सहायक के पदों हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गई।

(09) विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय को प्रश्न–पत्र निर्माण, उत्तर–पुस्तिका जांच एवं परीक्षा–परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया हेतु विभिन्न विशेषज्ञों के नामों के निर्धारण हेतु निर्णायक के रूप में अधिकृत किया गया।

(10) सदन के समक्ष माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में बनाई गईं निम्न नवीन नियमावलियाँ/मार्गदर्शिकाएँ प्रस्तुत की गईं–Guidelines for Emeritus Professorship, Guidelines for Research Projects एवं Guidelines for Honoris Causa। विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय के इस कार्य की सराहना की गईं एवं इन्हें लागू किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

(11) विभिन्न विभागों में प्रवेश हेतु निर्धारित की गई Intakes की संख्या में निम्न प्रकार संशोधन किया गया–

• सभी स्नातकोत्तर विषय (समाजकार्य, योग एवं जीवन विज्ञान और राजनीतिशास्त्र को छोड़कर)	–	15
• M.A./M.Sc. in Yoga and SOL	–	35
• M.A. in Political Science	–	25
• MSW	–	50
• MA in English	–	15
• B.Com.	–	60
• B.Sc.	–	40
• सभी विभागों में संचालित सभी Diploma एवं PG Diploma	–	15
• Certificate Course in Journalism & Mass Media	–	30
• Certificate Course in Office Automation and Internet	–	30

जिस हेतु विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

CamScanner

(12) कुलसचिव महोदय द्वारा परीक्षा आयोजना की विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु दिये जाने वाले विभिन्न पारिश्रमिक को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस हेतु विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों मे दिये जाने वाले पारिश्रमिक के अनुरूप संशोधित किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

(13) सदन के समक्ष उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण के निर्धारण हेतु उपयोग किये जाने वाले सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा के अंकों के साथ सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) के अंकों को जोड़कर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे विद्या–परिषद ने स्वीकृत प्रदान की।

(14) सदन द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस में की गई वृद्धियों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

(15) सदन द्वारा प्रतिमाह विभिन्न विभागों में प्रसिद्ध विषय–विशेषज्ञों को आमंत्रित कर अतिथि–व्याख्यान आयोजित करवाने का सुझाव दिया गया।

(16) प्रोफेसर दामोदर शास्त्री द्वारा संस्थान के प्रकाशनों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार एवं प्रकाशन से पूर्व प्रकाशन सामग्री में भाषा की अशुद्धियों एवं सामग्री में तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच हेतु विशेषज्ञों से पुनरावलोकन करवाने का सुझाव दिया गया।

(17) विद्या–परिषद के सदस्यों द्वारा दूरस्थ शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रमों, जिनकी पाठ्यसामग्री अभी तक संस्थान द्वारा तैयार नहीं की गई है, यथाशीघ्र पाठ्यसामग्री के निर्माण करवाने एवं पूर्व निर्मित सामग्री का विषय–विशेषज्ञों से पुनरावलोकन करवाकर आवश्यक संशोधन करवाने का सुझाव दिया गया।

(18) कुलसचिव महोदय ने विद्यार्थियों को समय–समय पर दी जाने वाली Fellowship और Medals के संबंध में सदन के दिशा–निर्देशन हेतु अनुरोध किया गया। विद्या–परिषद् के सदस्यों का मत था कि इस संबंध में नियमों का प्रारूप तैयार किया जाए और अनुमोदन के लिए विद्या–परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(19). कुलसचिव महोदय ने संस्थान के शैक्षणिक मानकों में निर्देश, मूल्यांकन और सुधार की विधि के सन्दर्भ में सदन के विचार–विमर्श एवं दिशा–निर्देशन हेतु अनुरोध किया। सदन ने संस्थान द्वारा समय–समय पर शैक्षणिक मानकों के मूल्यांकन एवं सुधार हेतु किये जाने वाले प्रयासों को संतोषप्रद बताया एवं इस हेतु किये जाने वाले प्रयासों को सतत जारी रखने के निर्देश दिये।

(20) सदन द्वारा नवीन नियमित पाठ्यक्रमों हेतु भी शीघ्रातिशीघ्र पाठ्यसामग्री का निर्माण करवाने की सलाह दी गई।

अंत में माननीय कुलपति महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(विनोद कुमार कक्कड़)
कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

CamScanner